अध्याय-VII: कर-इतर प्राप्तियाँ

7.1 कर प्रशासन

सरकार के स्तर पर प्रमुख सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर तथा विभाग के स्तर पर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग (डी.एम.जी.), उदयपुर की प्रशासन तथा अधिनियम एवं नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी है। प्रशासनिक मामलों में पांच अतिरिक्त निदेशक, खान (ए.डी.एम.) एवं तीन अतिरिक्त निदेशक, भू-विज्ञान (ए.डी.जी.) तथा वित्त के मामले में एक वित्तीय सलाहकार, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग की सहायता करते हैं। अतिरिक्त निदेशक खान, सात वृत्तों के प्रमुखों अर्थात् अधीक्षण खनि अभियन्ताओं को नियंत्रित करते हैं।

अपने-अपने क्षेत्राधिकार में 39 खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता खनिजों के अवैध खनन एवं निर्गमन के रोकथाम के अलावा राजस्व का निर्धारण तथा वसूली हेतु जिम्मेदार हैं। विभाग में खनिजों के अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिये अलग से सतर्कता विंग है जिसके प्रमुख उप महानिदेशक (सतर्कता), जयपुर हैं।

7.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा एक महत्वपूर्ण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि विभागीय कार्यकलापों को प्रचलित कानूनों, विनियमों एवं अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी ढंग के साथ किया जा रहा है और अधीनस्थ कार्यालय विभिन्न प्रकार के अभिलेखों, पंजिकाओं/लेखा पुस्तिकाओं का उचित एवं सही ढंग से संधारण कर रहे हैं तथा राजस्व संग्रहण के अभाव/कम संग्रहण या अपवंचना के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि लगभग सभी खनिज इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा 2004-05 से बकाया थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा के अभाव में विभागीय प्राधिकारी, व्यवस्था में कमियों के प्रति अनभिज्ञ रहे, जिसके कारण राजस्व की छीजत/अपवंचना हुई। यह बिन्दु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2013-14 में भी उठाया गया था। फिर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

7.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

खान एवं भू-विज्ञान विभाग और पेट्रोलियम विभाग से सम्बन्धित 43 इकाइयों की वर्ष 2014-15 के दौरान की गई मापक जांच में 5,766 प्रकरणों में ₹ 106.32 करोड़ राशि के राजस्व की अवसूली/कम वसूली के प्रकरण सामने आये, जो मुख्यत: निम्न श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	अनधिकृत उत्खनन	1,121	52.45
2.	स्थिर भाटक एवं अधिशुल्क की अवसूली/ कम वसूली	183	28.73
3.	पर्यावरण प्रबन्धन राशि (ई.एम.एफ.) की अवसूली/ कम वसूली	409	13.03
4.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	304	5.74
5.	अन्य अनियमिततायें	3,749	6.37
योग		**5,766**	**106.32**

वर्ष 2014-15 के दौरान, विभाग ने 1,966 प्रकरणों में ₹ 52.10 करोड़ की कम वसूली एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 3.08 करोड़ के 271 प्रकरण वर्ष 2014-15 के दौरान एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने 888 प्रकरणों में ₹ 9.97 करोड़ की वसूली की, जिसमें से ₹ 0.04 करोड़ के तीन प्रकरण चालू वर्ष की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित थे तथा अन्य पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित थे।

कुछ निदर्शी प्रकरण जिनमें ₹ 39.49 करोड़ सन्निहित हैं, अनुवर्ती अनुच्छेदों 7.4 से 7.12 में उल्लेखित किये गये हैं।

7.4 उच्चतम वैध प्रस्ताव को अस्वीकार करने से राजस्व हानि

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियमों 32 से 37 में अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका/अधिशुल्क संग्रहण ठेका प्रावधान दिये गये है। नियम 35(vi)(सी) के अनुसार प्रत्येक निविदा के साथ एक शपथ पत्र होगा, जिसमें निविदाकारों/फर्म के सभी भागीदारों/व्यक्तियों के संघ के सभी सदस्यों/कम्पनी के सभी निदेशकों या निविदाकारों/भागीदारों/व्यक्तियों के संघ के सदस्यों/निदेशकों के परिवारों के सदस्यों[1], जैसी भी स्थिति हो, पर विभाग का कोई बकाया नहीं है का उल्लेख होगा। ऐसा शपथ पत्र इसके प्रस्तुत करने की तारीख से 15 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये। नियम 35(ix) के अनुसार निविदा खोलने वाली समिति निविदादाता द्वारा प्रस्तुत वैध उच्चतम बोली का चयन अनन्तिम रूप से करेगी। इसके अतिरिक्त नियम 35(xii) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी, अनन्तिम रूप से चयनित निविदा की, स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय करेगा।

खनि अभियंता, बीकानेर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि (जनवरी 2014) खान विभाग ने खनिज बजरी आदि पर देय अधिक अधिशुल्क की वसूली हेतु दो वर्ष की अवधि (2012-14) के लिये अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके/अधिशुल्क संग्रहण ठेके के लिये निविदायें आमंत्रित की। निविदा खोलने वाली समिति ने रिजर्व मूल्य ₹ 10.28 करोड़ के विरूद्ध प्राप्त उच्चत्तम निविदा राशि ₹ 13.94 करोड़ प्रति वर्ष को चयनित किया। निविदा को अनन्तिम रूप से (9 फरवरी 2012) चयनित किया गया और ठेकेदार द्वारा नियम 32 से 35 के प्रावधानों की पालना को पूरा किया गया। फलस्वरूप खनि अभियन्ता ने ठेका प्रदान करने के लिये डी.एम.जी. को ठेकेदार के नाम की सिफारिश की। हालांकि, डी.एम.जी. द्वारा नियम 35(xii) के प्रावधानों के तहत प्रस्ताव को इस आधार पर निरस्त किया (30 मार्च 2012) कि निविदा प्रस्तुत करते समय एक फर्म के विरूद्ध विभाग का बकाया था जिसमें निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर की पत्नी पार्टनर थी और निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर ने झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया और तथ्यों को छुपाया।

निविदादाता फर्म के प्रोपराईटर की पत्नी एक बार उपरोक्त वर्णित फर्म, जिसके विरूद्ध विभाग का बकाया था, में कभी पार्टनर थी। लेकिन बाद में रिटायरमेन्ट डीड दिनांक 31 दिसम्बर 2011 के द्वारा उसने उपरोक्त फर्म में अपने सभी हितों को त्याग दिया था। यह भी पाया गया कि डी.एम.जी. के निरस्ती आदेश (30 मार्च 2012) जारी करने के पूर्व बकाया राशि के साथ ब्याज की राशि भी (16/17 मार्च 2012) को जमा करा दी गयी थी एवं फर्म को अदेय प्रमाण पत्र जारी (19 मार्च 2012) को जारी कर दिया गया था। यह तथ्य विभाग के ध्यान में लाये गये लेकिन डी.एम.जी. द्वारा प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। डी.एम.जी. के आदेश से असंतुष्ट होकर निविदादाता ने उच्च न्यायालय में अपील की जहां यह निर्णय हुआ कि निविदा का निरस्तीकरण गलत था।

[1] राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 3(xiii-b) के अनुसार परिवार में पति, पत्नी और उनके आश्रित बच्चे शामिल है।

उच्चतम निविदा को पूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखे बिना अस्वीकृत करने से अवधि 1 अप्रेल 2012 से 11 जून 2012 में वसूली योग्य राशि ₹ 2.75 करोड़ के समक्ष विभागीय नाकों से केवल राशि ₹ 89.77 लाख की वसूली हुई। डी.एम.जी. द्वारा सही निर्णय नहीं लेने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.85 करोड़[2] की हानि हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2015) किया गया। सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2015) कि निविदा को निरस्त करने का निर्णय विधिक एवं वित्तीय राय लेने के पश्चात् किया गया। विभाग द्वारा ली गयी विधिक एवं वित्तीय राय लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी। निविदा का निरस्तीकरण एक विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था और इससे विभाग द्वारा अधिशुल्क की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसकी पुष्टि अपील करने की सम्भावना पर विधिक राय देते समय अतिरिक्त विधि सलाहकार द्वारा भी की गयी। विधि सलाहकार ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है एवं इसलिये आगे अपील के लिये यह उपयुक्त केस नहीं है।

7.5 अधिशुल्क की अवसूली

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 37ए(ix) के अनुसार मेगा हाईवे/चार/छह लेन सडकों के निर्माण/नवीनीकरण एवं रेल्वे लाईन बिछाने और उनकी मरम्मत में प्रयुक्त खनिजों पर ठेकेदार अधिशुल्क और/या परमिट शुल्क वसूल नहीं करेगा। ऐसे कार्यों हेतु पृथक से अल्पावधि परमिट जारी किये जायेंगे और यदि खनिज विद्यमान खानों से प्राप्त किये जाते हैं तो इसके लिये पट्टाधारकों को पृथक से भुगतानशुदा रवन्ना[3] जारी किये जायेंगे।

खनि अभियन्ता, मकराना के अभिलेखों की जांच में पाया गया (दिसम्बर 2014) कि राजस्थान राज्य सड़क निर्माण एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा एक मेगा हाइवे[4] के निर्माण को नवम्बर 2012 में स्वीकृत किया गया। अधिशुल्क राशि का संग्रहण विभागीय स्तर पर भुगतानशुदा रवन्नाओं के माध्यम से किया जाना अपेक्षित था। तथापि, अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार[5] द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत, मेगा हाईवे के निर्माण में प्रयुक्त खनिज के लिये अधिशुल्क की राशि ₹ 58.05 लाख का संग्रहण किया गया। खनि अभियन्ता ने इस त्रुटि को नहीं पकड़ा एवं निर्माण कार्य में प्रयुक्त खनिजों को अधिशुल्क भुगतानशुदा मानते हुए निर्धारण किया गया।

---

[2] आनुपातिक ठेका राशि ₹ 2.75 करोड़ (₹ 13,93,93,939/365 दिन ×72 दिन)- विभागीय नाकों के द्वारा की गयी वसूली ₹ 0.90 करोड़ = हानि राशि ₹ 1.85 करोड़।

[3] रवन्ना का मतलब खान से खनिज को हटाने या निर्गम करने के लिये चालान।

[4] जयपुर-नागौर वाया जोबनेर-कुचामन 63/500 किमी (भाटीपुरा) से 101/700 किमी (नारायणपुरा तिराहा)।

[5] अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदार-एक ठेकेदार जिसको एक मुश्त राशि के भुगतान पर एक निश्चित अवधि के लिये अधिशुल्क वसूली के लिये अधिकृत किया गया हो।

निर्माण कार्य ठेकेदार को अधिशुल्क राशि ₹ 58.05 लाख के अग्रिम भुगतान के पश्चात् ही खनि अभियंता द्वारा रवन्ना जारी करने चाहिए थे और राशि सरकारी लेखों में जमा की जानी चाहिये थी। राशि का विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	खनिज का नाम	खनिज की मात्रा (मै.टन)	वसूली योग्य अधिशुल्क की राशि (₹ लाख में)
1.	ग्रेवल	1,58,154	26.89
2.	सेण्ड/बजरी	13,689	2.74
3.	क्रेशर गिट्टी	1,46,888	24.97
4.	ब्लास्ट	20,269	3.45
	योग	**3,39,000**	**58.05**

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2015) किया गया। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं अवगत कराया (अगस्त 2015) कि वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

7.6 खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर से अनधिकृत उत्खनन एवं निर्गमन करने पर मांग कायमी का अभाव

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 48(5) में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति बिना विधिक प्राधिकार के कोई खनिज उत्खनित करता है तो ऐसे उत्खनित खनिज पर देय अधिशुल्क के साथ-साथ खनिज की कीमत वसूली योग्य होगी। खनिज की कीमत प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क की 10 गुणा होगी।

कार्यालय खनि अभियंता, जालौर के अभिलेखों की जांच में पाया गया (मार्च 2014) कि खनन पट्टा संख्या 448/02 के पट्टाधारी (श्री नरेन्द्र कुमार) के विरूद्ध अवैध खनन की एक शिकायत प्राप्त हुई। खनि अभियन्ता, जालौर कार्यालय के वरिष्ठ फोरमेन के द्वारा जांच किये जाने पर (18 जुलाई 2012), यह पाया कि खनन पट्टाधारी द्वारा पट्टाक्षेत्र के बाहर अवैध रूप से 5,040 मै.टन खनिज ग्रेनाईट का उत्खनन किया जिसमें से 4,873 मै.टन खनिज का निर्गमन किया एवं शेष 167 मै.टन विभाग द्वारा जब्त किया गया। अवैध रूप से उत्खनित खनिज ग्रेनाईट की कीमत के लिये तीन वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी खनि अभियन्ता द्वारा खनन पट्टाधारी को चेतना पत्र जारी नहीं किया गया, जिसकी राशि ₹ 85.28 लाख बनती है। जब्त खनिज के निस्तारण के लिये भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2015) किया गया। सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2015) कि पट्टाधारी को चेतना पत्र (23 जुलाई 2015) जारी किया गया।

7.7 ब्याज एवं अधिक अधिशुल्क की मांग कायमी का अभाव

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9(2) के अनुसार खनन पट्टाधारी द्वारा किसी खनिज को खनिज क्षेत्र से हटाने या उपयोग करने पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के द्वितीय परिशिष्ट में वर्णित दर से खनिज पर देय अधिशुल्क का भुगतान करना होगा। सरकार द्वारा अप्रेल 2000 एवं मार्च 2008 में निर्देश जारी कर प्रावधान किया गया कि सक्षम प्राधिकारी मासिक आधार पर खनिज के निर्गमन पर अधिशुल्क की गणना करेगा और उसकी मांग कायम कर वसूली की कार्यवाही करेगा। खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 64(ए) के अनुसार विलम्ब से भुगतान करने पर नियत तिथि के 60वें दिन से 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सरकार को देय होगा।

खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़ की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया (फरवरी 2015) कि सात पट्टाधारियों ने निर्गमित खनिज पर देय अधिक अधिशुल्क का भुगतान विलम्ब से किया। बकाया ₹ 21.21 लाख के विलम्ब से भुगतान करने पर खनि अभियन्ता द्वारा ब्याज की मांग कायम नहीं की गयी। इन सात प्रकरणों में से दो प्रकरणों में अधिक अधिशुल्क राशि ₹ 4.22 लाख की मांग भी कायम नहीं की गयी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (मई 2015) किया गया। सरकार ने अवगत कराया (सितम्बर 2015) कि चार मामलों में अधिक अधिशुल्क की राशि ₹ 0.08 लाख एवं ₹ 12.19 लाख की ब्याज की राशि को 'एमनेस्टी स्कीम 2014' के तहत जमा/समायोजन कर दिया गया है। शेष तीन मामलों में ₹ 4.14 लाख अधिक अधिशुल्क एवं ₹ 9.02 लाख ब्याज की राशि की वसूली की प्रगति अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

7.8 कन्सेन्ट टू ऑपरेट प्राप्त किये बिना खनिज का उत्पादन

वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21(1) एवं जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं 26 के तहत खनन पट्टेधारी को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से 'कन्सेन्ट टू ऑपरेट' प्राप्त करनी होती है जिसमें निर्धारित अवधि में खनिज की उत्खनित की जाने वाली मात्रा तय होती है। इसके अतिरिक्त राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986, के नियम 18(10) के अनुसार, पट्टेदार खानों के संचालन के साथ-साथ सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं पट्टेदार के कर्मचारियों की अथवा जनसाधारण की सुविधाओं को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों के सम्बन्ध में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गये समस्त प्रचलित अधिनियमों तथा नियमों और ऐसे अन्य अधिनियमों अथवा नियमों का जो समय-समय पर लागू किये जाये, का अनुपालन करेगा।

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, कोटपुतली एवं खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़ कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया (दिसम्बर 2014 एवं फरवरी 2015) कि दो खनिज मार्बल के खनन पट्टेधारियों एवं 27 चुनाई पत्थर के खनन पट्टेधारियों द्वारा 3,985 मै.टन खनिज मार्बल एवं 2.29 लाख मै.टन चुनाई पत्थर का कन्सेन्ट टू ऑपरेट प्राप्त किये बिना उत्खनन किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.82 करोड़ कीमत के खनिज का अवैध उत्पादन हुआ जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	खनिज का नाम	पट्टाधारियों की संख्या	उत्खनित खनिज की मात्रा (मै.टन)	अधिशुल्क की दर प्रति मै.टन (₹ में)	खनिज की कीमत अधिशुल्क की दस गुणा (₹ लाख में)
1.	सहायक खनि अभियन्ता, कोटपुतली	चुनाई पत्थर	27	2,29,263	22	504.38
2.	सहायक खनि अभियन्ता, प्रतापगढ़	मार्बल ब्लॉक	2	3,985	195	77.71
	योग		**29**	**2,33,248**		**582.09**

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2015) किया गया। सहायक खनि अभियन्ता, कोटपुतली के मामले में सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2015) कि बिना कन्सेन्ट के खनन या पूर्व की कन्सेन्ट टू ऑपरेट की अवधि समाप्ति होने पर किया गया खनन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 18 नवम्बर 2006 के अनुसार वार्षिक कन्सेन्ट शुल्क चार्ज करके चूक अवधि के लिये अगली कन्सेन्ट टू ऑपरेट जारी करते समय या नवीनीकरण करते समय नियमित किया जा सकता है। तथ्य यह है कि खान विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मध्य कोई समन्वय नहीं था और प्रदूषण बोर्ड के अनुमोदन के बिना खनन कार्य किया गया।

7.9 खनन योजना के बिना अप्रधान खनिज का उत्पादन

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 37(बी) के अनुसार खनन पट्टा, क्वारी अनुज्ञापत्र या अल्प अनुमति पत्र देने से पहले खनन योजना बनाकर प्रस्तुत करना पूर्व शर्त है। आगे नियम 37जी(1) के अनुसार विद्यमान पट्टेधारक अनुमोदित खनन योजना/स्कीम के अनुसार खनन कार्य चालू रखेंगे। ऐसे खनन पट्टेधारियों को नियम लागू होने की दिनांक (19 जून 2012) से एक वर्ष की अवधि के अन्दर खनन योजना/स्कीम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करनी होगी।

कार्यालय सहा. खनि अभियंता, कोटपुतली, खनि अभियन्ता, बून्दी-I एवं खनि अभियन्ता, झुन्झुनु कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में पाया गया (दिसम्बर 2014,

जनवरी 2015 एवं मार्च 2015) कि दिनांक 19 जून 2012 को 65 खनन पट्टेधारी प्रभाव में थे। इन खनन पट्टेधारियों को 18 जून 2013 तक खनन योजना प्रस्तुत करनी थी जिसे उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। इसके बावजूद नियमों के उल्लंघन में खनन पट्टेधारियों को खनिज उत्खनन करने दिया गया। विभाग ने ₹ 15.56 करोड़ के 5.88 लाख मै.टन चुनाई पत्थर एवं सैण्ड स्टोन को निर्गमन करने के लिये रवन्ना भी जारी किये जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	खनिज का नाम	खनन पटटों की संख्या	उत्खनित खनिज की मात्रा (मै.टन)	अधिशुल्क की दर प्रति मै.टन (₹ में)	खनिज की कीमत अधिशुल्क की 10 गुणा (₹ लाख में)
1.	बून्दी खण्ड-I	सैण्ड स्टोन	28	35,788	95	339.99
2.	झुन्झुनु	चुनाई पत्थर	11	1,73,321	22	381.31
3.	कोटपुतली	चुनाई पत्थर	26	3,79,268	22	834.39
योग			**65**	**5,88,377**		**1,555.69**

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2015) किया गया। सहायक खनि अभियन्ता, कोटपुतली एवं खनि अभियन्ता, झुन्झुनु के मामले में सरकार ने अवगत (जुलाई 2015) कराया कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 18(21) के अनुसार वार्षिक स्थिर भाटक के दो गुणा की शास्ति लगायी जा सकती है। खनि अभियन्ता, बून्दी-I के मामले में बताया गया कि रवन्ना प्राप्त करके नियमानुसार खनिज का निर्गमन किया गया था और इसलिये इस प्रकार किया गया निर्गमन किसी भी तरह से अवैध की श्रेणी में नहीं आता।

हालांकि, उपरोक्त मामलों में इस बात का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया कि बिना खनन योजना के अनुमोदन के, जो कि खनन गतिविधियों को चलाने के लिये एक पूर्व शर्त थी, रवन्ना जारी क्यों किया गया। इसमें पर्यावरणीय पक्ष शामिल होने के कारण विभाग को खनन योजना के अनुमोदन के पश्चात् ही रवन्ना जारी करने पर विचार करना चाहिए।

7.10 पर्यावरण प्रबन्धन कोष की कम वसूली/अवसूली

राजस्थान सरकार ने अधिसूचना दिनांक 19 जून 2012 के द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में नियम 37 टी(5) जोड़ा, जिसके अनुसार कोटा एवं झालावाड़ जिलों के मार्बल, ग्रेनाईट और चूना पत्थर (आयामी पत्थर) के प्रत्येक खनन पट्टेधारी/अनुज्ञप्तिधारी ₹ 10 प्रति टन की दर से एवं अन्य खनिजों के पट्टाधारी/अनुज्ञप्तिधारी/अल्पावधि परमिट धारी ₹ पांच प्रति टन की दर से पर्यावरण प्रबन्धन कोष (ई.एम.एफ.) राशि के रूप में जमा करवायेगा। दिनांक 9 अक्टूबर 2012 से साधारण मिट्टी पर दर को ₹ पांच प्रति मै.टन से घटा कर ₹ एक प्रति मै.टन

किया गया। पर्यावरण प्रबन्धन योजना के अनुसार पर्यावरण रोकथाम कार्य में इस्तेमाल करने के लिये ई.एम.एफ. की आवश्यकता थी। हालांकि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 9 अप्रेल 2015 से इन प्रावधानों को अवैध घोषित कर दिया एवं यह आदेश दिया कि इन नियमों को आगे लागू नहीं किया जावेगा। फिर भी यदि कोई ठेकेदार/पट्टेधारी, उपभोक्ता या खनिज ले जाने वाले से ई.एम.एफ. राशि वसूली कर लेता है तो वह उस राशि को रखने का अधिकारी नहीं है एवं उसे सरकारी लेखों में जमा कराना चाहिए। ई.एम.एफ. राशि का संग्रहण नहीं करना अथवा संग्रहण के उपरान्त भी राजकोष में जमा नहीं करवाने के कुछ मामले आगे वर्णित हैं:

7.10.1 लोक निर्माण के ठेकेदारों से पर्यावरण प्रबन्धन कोष की अवसूली

खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा के अभिलेखों की जांच में पाया गया (नवम्बर 2014) कि 28 ठेकेदारों ने 4.54 लाख मै.टन ग्रेवल, चुनाई पत्थर एवं मिट्टी एवं 2.75 लाख मै.टन साधारण मिट्टी के अग्रिम अधिशुल्क का भुगतान कर अल्पावधि परमिट प्राप्त किये। खनि अभियन्ता द्वारा उक्त खनिजों पर देय ई.एम.एफ. की राशि वसूल नहीं की जो कि गणना करने पर ₹ 25.47 लाख बनती थी। इसी प्रकार खनि अभियन्ता, टोंक के अभिलेखों की जांच में पाया गया (जनवरी 2015) कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मोडर्न रोड़ मेकर्स प्राईवेट लि. को सड़क निर्माण[6] का कार्य आवंटन (14 अक्टूबर 2009) किया। आगे यह भी पाया कि ठेकेदार को 11.60 लाख मै.टन साधारण मिट्टी के लिये अवधि 21 जून 2012 से 28 जून 2012 तक अल्पावधि परमिट ई.एम.एफ. की राशि ₹ 58 लाख का भुगतान किये बिना जारी किये गये। इसके अलावा सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड़ के अभिलेखों की जांच में पाया गया (फरवरी 2014) कि तीन लोक निर्माण ठेकेदारों (जून एवं जुलाई 2012) ने 90,600 मै.टन ग्रेवल, चुनाई पत्थर, आदि एवं 1,70,000 मै.टन साधारण मिट्टी के अल्पावधि परमिट अग्रिम अधिशुल्क का भुगतान कर प्राप्त किये। खनि अभियन्ता द्वारा उक्त खनिजों पर देय ई.एम.एफ. की राशि वसूल नहीं की जो ₹ 13.03 लाख बनती थी। इस प्रकार कुल वसूली योग्य राशि ₹ 96.50 लाख थी।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया (मई एवं जून 2015) गया। सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2015) कि चार प्रकरणों में खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा ने तथा एक प्रकरण में सहायक खनि अभियन्ता, टोंक ने क्रमशः राशि ₹ 2.68 लाख एवं राशि ₹ 11.60 लाख वसूल कर लिये। इसके अतिरिक्त सहायक खनि अभियन्ता, झालावाड़ के प्रकरण में सरकार ने बताया कि 18 सितम्बर 2012 को जारी निर्देशों के तहत ई.एम.एफ. राशि की वसूली लोक निर्माण विभाग द्वारा कर ली जावेगी।

[6] पैकेज-II- 63 से 114 किमी एन.एच.-12 के जयपुर से देवली खण्ड के फौर लेन के निर्माण का कार्य।

7.10.2 पर्यावरण प्रबन्धन कोष की अवसूली/कम वसूली

छः खनि अभियन्ता/सहायक अभियन्ता कार्यालयों के मांग पंजिका, अधिशुल्क निर्धारण पत्रावलियां एवं मासिक विवरणियों की जांच में पाया (सितम्बर 2013 से मार्च 2015) कि पट्टेधारियों, ईट मिट्टी के परमिटधारकों एवं अधिशुल्क संग्रहण ठेकेदारों से ई.एम.एफ. राशि ₹ 1.61 करोड़ वसूल नहीं किये या कम वसूल किये गये जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	खनिज का नाम	अवधि		खनिज की मात्रा (मै.टन)	ई.एम.एफ. (₹ लाख में)
			से	तक		
1.	खनि अभियन्ता, बून्दी-I	सैण्डस्टोन	19.6.2012	22.3.2013	6,23,079	31.15
2.	सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा	मार्बल	19.6.2012	31.3.2013	33,049	3.30
		ग्रेनाईट	19.6.2012	31.3.2013	380	0.04
		चुनाई पत्थर	19.6.2012	31.3.2013	2,121	0.11
		चूनापत्थर	19.6.2012	31.3.2013	2,91,873	14.59
3.	खनि अभियन्ता, झुन्झुनु	ईट-मिट्टी	19.6.2012	31.3.2014	4,09,175	20.46
		चुनाई पत्थर	19.6.2012	31.3.2013	3,54,433	17.72
4.	खनि अभियन्ता, जालौर	ग्रेनाईट	19.6.2012	31.3.2013	1,36,619	13.66
5.	खनि अभियन्ता, सीकर	ईट-मिट्टी	19.6.2012	31.3.2013	8,82,150	44.11
6.	खनि अभियन्ता, धौलपुर	सैण्डस्टोन	19.6.2012	29.10.2012	2,84,730	14.24
		चुनाई पत्थर	19.6.2012	29.10.2012	34,460	1.72
योग						**161.10**

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2015) किया गया। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं अवगत कराया (अगस्त 2015) कि पांच प्रकरणों[7] में ₹ 46.53 लाख वसूल कर लिये गये हैं।

[7] खनि अभियन्ता, बून्दी-I, झुन्झुनु, जालौर, सीकर, एवं सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा।

7.11 अवैध उत्खनन एवं निर्गमन पर खनिज की कीमत की मांग कायमी का अभाव

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 48(5) में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति बिना विधिक प्राधिकार के कोई खनिज किसी भूमि से उत्खनित करता है तो ऐसे उत्खनित खनिज के उपयोग अथवा निर्गमन पर देय अधिशुल्क के साथ-साथ खनिज की कीमत वसूली योग्य होगी। खनिज की कीमत प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के दस गुणा के बराबर होगी।

खनि अभियन्ता, करौली के अभिलेखों जैसे पचंनामों[8] की जांच में पाया गया (अक्टूबर 2014) कि अप्रेल 2012 से अक्टूबर 2013 के दौरान सात मामलों में अवैध रूप से उत्खनित एवं निर्गमित खनिज की कीमत की वसूली हेतु खनि अभियन्ता द्वारा दोषियों को चेतना पत्र जारी किये गये। परन्तु दोषियों द्वारा खनिज की कीमत जमा नहीं करायी गयी। खनि अभियन्ता द्वारा केवल तीन प्रकरणों में खनिज की कीमत की मांग कायम करने हेतु अधीक्षण खनि अभियन्ता को प्रस्ताव प्रस्तुत किये लेकिन शेष चार प्रकरणों के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे सभी सातों प्रकरणों में एक से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी इन दोषियों के विरूद्ध राशि ₹ 19.12 लाख की मांग कायम नहीं की गयी जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	प्रकरणों की संख्या	खनिज का नाम	अवैध रूप से उत्खनित खनिज की मात्रा (मै.टन)	अधिशुल्क की दर प्रति मै.टन (₹ में)	खनिज की कीमत (₹ लाख में)
1.	1	ईट मिट्टी	4,769	18	8.58
2.	2	चुनाई पत्थर	280	17	0.48
3.	4	सैण्ड स्टोन	875	115	10.06
योग					**19.12**

ध्यान में लाने के पश्चात खनि अभियन्ता, करौली ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया (नवम्बर 2014) की मांग कायम कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (फरवरी 2015) किया गया। विभाग ने बताया (मई 2015) कि एक प्रकरण में खनि अभियन्ता, करौली ने मांग कायमी के अनुमोदन के लिये एक प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता, भरतपुर को प्रेषित किया एवं शेष छः प्रकरण विभागीय जांच में है।

[8] अवैध उत्खनन के सम्बन्ध में तत्स्थान पर निरीक्षण अधिकारी द्वारा बनाया गया सत्यापन नोट।

7.12 ईंट मिट्टी की कीमत की कम मांग कायमी/मांग कायमी का अभाव

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 65ए के अन्तर्गत दिनांक 10 जून 1994 को जारी अधिसूचना के अनुसार ईंट भट्टे के मालिक ईंट बनाने के लिये, ईंट-मिट्टी के लिये अनुमति प्राप्त करेंगें। अनुमति कम से कम एक वर्ष एवं अधिकतम पांच वर्ष के लिये दी जायेगी। अधिशुल्क की वसूली उपयोग में आने वाली मिट्टी की मात्रा की निर्धारित विधि (150 दिवस × 3.5 मै.टन × घोड़ियों की संख्या) के आधार पर गणना कर वार्षिक मै.टन ईंट मिट्टी पर देय होगी। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 48 में प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति बिना विधिक प्राधिकार के कोई खनिज किसी भूमि से उत्खनित करता है तो ऐसे उत्खनित खनिज पर देय अधिशुल्क के साथ-साथ खनिज की कीमत वसूली योग्य होगी।

खनि अभियन्ता जयपुर, अजमेर एवं भरतपुर के कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया (जून 2013 से अक्टूबर 2014 के दौरान) कि 52 ईंट भट्टों के मालिकों द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किए एवं अधिशुल्क का भुगतान किये अवैध रूप से ईंट मिट्टी का उपयोग किया गया। यद्यपि, विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान वास्तविक रूप से तत्स्थान पर पाई गयी ईंटों की मात्रा के आधार ₹ 1.57 करोड़ की मांग कायम की, जबकि वसूली योग्य राशि की गणना ₹ 13.48 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.81 करोड़ की कम वसूली हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	प्रकरणों की संख्या	पंचनामों का माह	वसूली योग्य कीमत	विभाग द्वारा की गयी मांग कायमी	कम मांग कायमी
1.	खनि अभियन्ता, जयपुर	39	मई 2012 से जुलाई 2012	1,041.39	130.63	910.76
2.	खनि अभियन्ता, अजमेर	5	अप्रेल 2012 से नवम्बर 2012	102.91	14.68	78.88
3.	खनि अभियन्ता, भरतपुर	8	मई 2013 से फरवरी 2014	203.18	11.90	191.28
योग		**52**		**1,347.48**	**157.21**	**1,180.92**

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित (जून 2015) किया गया। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं अवगत कराया (जुलाई 2015) कि खनि अभियन्ता, अजमेर एवं खनि अभियन्ता, भरतपुर के मामले में वसूली के लिये चेतना पत्र जारी कर दिये गये। जबकि खनि अभियन्ता,

जयपुर के मामले में यह कहा कि तकनीकी स्टाफ को निरीक्षण के दौरान तत्स्थान पर पाई गयी खनिज की मात्रा के आधार पर मांग कायम की गयी एवं यह माना जाना सही नहीं है कि भट्टा पूरे साल चला। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि तत्स्थान पर पाई गयी खनिज की मात्रा की मांग कायम करते समय यह ध्यान में नहीं रखा गया कि खनिज की मात्रा पहले भी उत्खनित कर भट्टे में उपयोग में लेकर निर्गमित की जा चुकी थी।

(एस. आलोक)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

जयपुर
दिनांक 26 फरवरी 2016

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 02 मार्च 2016